



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265689
CG-DL-E-26082025-265689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3782]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3782]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3887 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 124.636 किमी के NH85 (कोच्ची - मुन्नार) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH85 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	स्पेशल तहसीलदार,	राष्ट्रीय राजमार्ग	केरल	इडुक्की	देवीकुलम	1 कन्नन देवन हिल्स

શેખ અમીનખાન, નિદેશક

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Special Tahsildar, LA NH 85, Idukki	NH85 KM 0 TO KM 124.636	KERALA	IDUKKI	Devikulam	1 Kannan Devan Hills 2 Mannamkandam 3 Anaviratty 4 Pallivasal 5 Vellathuval

					Udumbanchola	1	Baisonvally
						2	Chinnakanal
						3	Poopara
						4	Santhanpara

[F. No 12254/PIU-CHN-II/NH85:Koc-Mun/LA 3a-3A-3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director